

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 21-12-2021 at 12:00 Noon UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 22-12-2021 at 12:00 Noon under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Sh. Rahul Chauhan | Addl. District Magistrate (L&O), Shimla. |
| 2. Sh. Vishal Shankta | Member, Zilla Parishad. |
| 3. Sh. Ujjawal Sain Mehta | Member, Zilla Parishad. |
| 4. Sh. Ashok Negi | Divisional Forest Officer, Theog. |
| 5. Sh. Yashpal Thakur | Range Forest Officer, Chopal. |
| 6. Sh. Lachhi Ram | Range Forest Officer, Shimla (Urban). |
| 7. Sh. Dharam Chand | ACF, Rohru. |

At the outset, the Additional District Magistrate (L&O), Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that following 5 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

<u>Sub Division Shimla Theog</u>	
1.	Construction of Helipad at Punder
2.	Construction of 66KV D/C Transmission Line from Pragati Nagar to 66/22KV Sub-Station Hulli (Kotkhari).
<u>Sub Division Chopal.</u>	
3.	Construction of ITI Nerwa, Tehsil Nerwa
<u>Sub Division Rampur.</u>	
4.	Construction of road from Kharela to Krangla Tehsil Nankhari, Distt Shimla.
<u>Sub Division Shimla Urban</u>	
5.	Construction of Ambulance road under FRA to Middle Kuftadhar bifurcating from road to Mini Kuftadhar from PWD road ward No.2 Shimla on Khasra No. 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, and 1020/1 RD 0/0 to 0/650.

Copy attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

All the above 5 FRA cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

In addition to above, Annexure I, II and III pertains to FRC, Mohal Sabha & SDLC respectably following 116 revenue villages in respect of Sub-Division Rohru, received through the SDO (C), Rohru for the settlement of rights under FRA :-

Sr. No.	Name of Development Block	Name of Gram Panchayat	Name of Revenue Village
1.	Rohru	Shekhal	Dhara
2.	Rohru	Shekhal	Kyarku
3.	Rohru	Shekhal	Shekhal & DPF Shekhal
4.	Rohru	Shekhal	Sandour
5.	Rohru	Samoli	Samoli
6.	Rohru	Samoli	Astani
7.	Rohru	Samoli	Sainji
8.	Rohru	Samoli	Jundi
9.	Rohru	Bhaloon	Bhaloon -I
10.	Rohru	Bhaloon	Bhaloon Ward No-II
11.	Rohru	Bhaloon	Bhajain
12.	Rohru	Bhaloon	Ghrema
13.	Rohru	Bhaloon	Sharmali-I
14.	Rohru	Bhaloon	Sharmali- II
15.	Rohru	Bhaloon	Jounli
16.	Rohru	Brall	Brall
17.	Rohru	Brall	DPF Brall
18.	Rohru	Brall	Ganighat
19.	Rohru	Brall	Bharoli
20.	Rohru	Seema-Rantari	Bijori
21.	Rohru	Seema -Rantari	Jakhar
22.	Rohru	Seema-Rantari	Rantari
23.	Rohru	Summerkot	Pujarli
24.	Rohru	Summerkot	Seri
25.	Rohru	Summerkot	Shalawat
26.	Rohru	Summerkot	Nasari
27.	Rohru	Summerkot	Dungsa
28.	Rohru	Summerkot	Khanola
29.	Rohru	Dalgaon	Dalgaon
30.	Rohru	Dalgaon	Bharetly
31.	Rohru	Dalgaon	Khashkandi
32.	Rohru	Karalash	Karalash
33.	Rohru	Karalash	Thamtari
34.	Rohru	Brasali	Brasali
35.	Rohru	Brasali	Kanewara
36.	Rohru	Brasali	Runda
37.	Rohru	Brasali	Barara
38.	Rohru	Kuthari	Kuthari
39.	Rohru	Lowerkoti	Lowerkoti

Copy attested
by

40.	Rohru	Lowerkoti	Parsa
41.	Rohru	Lowerkoti	Chhupari
42.	Rohru	Kutara	Kutara
43.	Rohru	Kutara	Buthara
44.	Rohru	Jagothi	Jagothi
45.	Rohru	Jagothi	Noi
46.	Rohru	Jagothi	DPF Darshal
47.	Rohru	Jagothi	Koti
48.	Rohru	Jagothi	Bhooth
49.	Rohru	Jagothi	Bari
50.	Rohru	Bhalara	Garai
51.	Rohru	Bhalara	Bhalara
52.	Rohru	Bhalara	Bachhaunch
53.	Rohru	Bashla	Bashla
54.	Rohru	Bashla	Malkhoon
55.	Rohru	Pujarli-4	Tikkari-I
56.	Rohru	Pujarli-4	Siao
57.	Rohru	Pujarli-4	Sajar
58.	Rohru	Pujarli-4	Friunkoti
59.	Rohru	Pujarli-4	Tikkari-II
60.	Rohru	Pujarli-4	Koti-I
61.	Rohru	Pujarli-4	Koti-II
62.	Chhohara	Khashdhar	Peja
63.	Chhohara	Khashdhar	Sandasu
64.	Chhohara	Tikkri	Tikkri
65.	Chhohara	Tikkri	Gumma
66.	Chhohara	Tikkri	Pundrass
67.	Chhohara	Jangla	Thali Jangla
68.	Chhohara	Jangla	Nandla
69.	Chhohara	Jangla	Magwani
70.	Chhohara	Saribasa	Sari
71.	Chhohara	Saribasa	Devidhar
72.	Chhohara	Saribasa	Bhamwari
73.	Chhohara	Banoti	Banoti
74.	Chhohara	Banoti	Dhumrera
75.	Chhohara	Banoti	Mathla
76.	Chhohara	Kaloti	Sharkuli
77.	Chhohara	Kaloti	Bathua
78.	Chhohara	Kaloti	Kaloti
79.	Chhohara	Kaloti	Jhatwari
80.	Chhohara	Kaloti	Bhatwari
81.	Chhohara	Kaloti	DPF Nirja
82.	Chhohara	Diswani	Kamron
83.	Chhohara	Diswani	Jagothi
84.	Chhohara	Diswani	Bhangara
85.	Chhohara	Kulgaon	Kulgaon
86.	Chhohara	Kulgaon	Shiroli
87.	Chhohara	Kulgaon	Badiyara
88.	Chhohara	Bhamfad	Chilala
89.	Chhohara	Bhamfad	DPF Pujarli
90.	Chhohara	Bhamfad	Dugyani
91.	Chhohara	Bhamfad	DPF Bhafad
92.	Chhohara	Dhagoli	Dhagoli

Copy attested
 Addition
 Shimla, Dist. Shimla-171001

93.	Chhohara	Dhagoli	Kanthli
94.	Chhohara	Andhra	Andhra
95.	Chhohara	Andhra	Jhanjwari
96.	Chhohara	Andhra	Gyari
97.	Chhohara	Andhra	Bakora
98.	Chhohara	Gaonsari	Gaonsari
99.	Chhohara	Gaonsari	Maktot
100.	Chhohara	Gaonsari	Atgaon
101.	Chhohara	Gaonsari	Haunchali
102.	Chhohara	Gaonsari	Goskwari
103.	Chhohara	Gaonsari	Rousi
104.	Chhohara	Todsa	Kutra
105.	Chhohara	Todsa	Gumna
106.	Chhohara	Todsa	Limra
107.	Chhohara	Todsa	Shagli
108.	Chhohara	Tangnu Janglikh	Janglikh
109.	Chhohara	Thana	Thana
110.	Chhohara	Thana	Jhalwari
111.	Chhohara	Thana	Amboi
112.	Chhohara	Thana	Jailot
113.	Chhohara	Ranol	Bauchari
114.	Chhohara	Ranol	Ranol
115.	Chhohara	Bhatiyani	Bhatiyani
116.	Chhohara	Bhatiyani	Bagi

The above mentioned annexure I, II & III the SDO (C), Rohru also perused and discussed in length. No individual claim received but community claim as received from the Forest Right Committee/Muhal Sabha & Sub-Division Level Committee stand settled.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

Copy attested

[Signature]
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

[Signature]
Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.

OFFICE OF THE SDO (CIVIL) THEOG DISTRICT Shimla (H.P.)

Proceeding of the meeting held on 09.12.2021 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Sh Saurbah jassal Worthy SDM (IAS) Theog the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act (FRA) 2006.

The application of the applicant, 1. Claiming right in "Construction of Helipad at Ghagai" G.P. Punder, 2. " Construction of 66KV D/C Transmission line from Pragati Nagar to 66/22 KV Sub Station Holli(Kotkhail)" G.P. Gumma, Devghar, Himri, Purag, forest area(s) under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the village forest right committees the "Punder, Anu, Huli, Ponjol, Khodu, Pali, Mangli" was discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of application(s) were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr. No	Name of Applicant	purpose	Name of Forest/Mohal	Area in hectare
1	The District Tourism Dev. Office Shimla. Distt Shimla.	Construction of Helipad.	Punder	01-25-93 hect.
Total 01 Mohal				1-25-93 hect.
2	The Sr. Executive Engineer, Electrical System Division HPSEBI. Totu - Shimla.	Construction of 66KV D/C Transmission Line	Anu	0-29-45 hect
			Huli	0-12-26 hect.
			Ponjol	0-89-59 hect.
			Khodu	1-24-30 hect.
			Pali	1-02-02 hect
			Mangli	0-03-68 hect.
Total-06 Mohal				3-61-30 hect.

Claims of above mentioned Two cases are as under:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1	Nil	Nil	Nil
2	Nil	Nil	Nil

Submitted for Kind information please.

Place:- Theog

Dated:- 07-08-2021

Copy attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

Chairman -Cum-Sub Divisional Officer(C),
Theog, District Shimla, (H.P.).

आज दिनांक 09-12-2021 को श्री सौरभ जस्सल उप-मण्डलाधिकारी (ना0), ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की अध्यक्षता में उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री मुकेश शर्मा तहसीलदार ठियोग।
2. श्री रमेश झांगटा वन परीक्षेत्राधिकारी ठियोग।
3. श्रीमति रेखा चौहान पंचायत समिति अध्यक्ष जुब्बल कोटखाई।
4. श्री यशोदा देवी पंचायत समिति अध्यक्ष ठियोग।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या-1 बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जिला शिमला के कार्यालय की पत्र संख्या DTO-SML-8-5/19-1053 दिनांक 27-09-2021 की संस्तुति की गई, जिसके तहत मोहाल पुन्दर उप-तहसील देहा, जिला शिमला में हैलीपैड निर्माण के लिए कुल भूमि 1-25-93 हैक्टेयर हस्तांतरण हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार पुन्दर उप-तहसील देहा से प्रस्ताव पारित करके पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा/आक्षेप प्रस्तुत न हुआ है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया है।

मद संख्या-2 बैठक में वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता बिजली विभाग टूटू शिमला के कार्यालय की पत्र संख्या HPSEBL/ESDS/DB-51/2021-22-2165 दिनांक 20-09-2021 की संस्तुति की गई। जिसके तहत मोहाल अणू, हुली, पंजौल, खोड़, पाली, मघाल, तहसील कोटखाई में 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन के लिए कुल भूमि 3-61-30 हैक्टेयर हस्तांतरण हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति अणू, हुली, पंजौल, खोड़, पाली, मघाल तहसील कोटखाई से प्रस्ताव पारित करके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा/आक्षेप प्रस्तुत न हुआ है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया है।

Sd/-
(सौरभ जस्सल) आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या-टी.एच.जी./एस.डी.के/एफ.आर.ए./2020-

18/11

दिनांक 13/12/2021

प्रतिलिपि सेवा में:-

उपायुक्त शिमला, जिला शिमला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

Copy attested

[Signature]
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

[Signature]
अध्यक्ष एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0।



कार्यालय ग्राम पंचायत पुड़ग

विकास खण्ड जुबल-कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रधान
रीनू चौहान

फोन : 86280-85747

उप-प्रधान

श्री नितिन जदैक

फोन : 82192-61923

आज दिनांक 23/08/21 को ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठक में प्रधान/उप प्रधान श्री रीनू चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति 07/07..... रही। बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

सदस्य

1. श्री सुनील कुमार
2. कु. सुचिता जदैक
3. कु. बीना भिमटा
4. कु. पुष्पा
5. श्रीमती सुषमा

क्रमांक..08:....

दिनांक.....

विषय... 661KV बिजली लावर लाइन प्रगति नगर से दुल्ला
हेतु अनापति बारे!

ग्राम पंचायत की बैठक में सर्व-
सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि
661KV बिजली लावर लाइन प्रगति नगर से दुल्ला
तक बिछ रही है। राजस्व ग्राम मधाली की
वन अधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार
पर इस बार्ड में कोई जंगल नहीं है बल्कि
चरान व निजि भूमि है।

अतः वन अधिकार अधिनियम
2006 के अन्तर्गत मधाली ग्राम की वन अधिका.
समिति के आधार पर अनापति प्रमाण पत्र
जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है
कि नक्का अरल के अनुसार
सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत पुड़ग
विकास खण्ड जुबल कोटखाई
जिला शिमला (हि.प्र.)

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Purag
Dev. Block Jubbal-Kotkhai

ग्रामवासियों की भागीदारी और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा मधाली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

संख्या 1

दिनांक 25/7/21

वन अधिकार समिति ग्राम सभा 25/7/2021 की बैठक आज दिनांक 25/7/2021

ग्राम मधाली में श्री/श्रीमति देवी राम

की अध्यक्षता में की गई जिसमें मधाली गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिर्जा राम

ग्राम / वन क्षेत्र में जिसमें HPS & BL विभाग द्वारा मिर्जा राम वर मगान देवी

के लिए 0-03-68 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए

इस हदू गांव हदू गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदन पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्ताव

के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति ग्राम

द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. "पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार

01 नारायण दास

02 दीपक राम

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को धारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी

सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. "पात्र गांव वासी का नाम

1

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को धारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मधाली सचिव मधाली अध्यक्ष मधाली

दिनांक मधाली वन अधिकार समिति मधाली अर्धकृत हस्ताक्षर मधाली

मधाली ग्राम सभा मधाली

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए

आवेदन किया है।

** प्रांजवट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग

की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... मंघाली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 08 दिनांक... 25/7/2021
 ग्राम सभा... मंघाली की बैठक आज दिनांक... 25/7/21 को... 11
 बजे स्थान... मंघाली में श्री/श्रीमति... दली राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें... मंघाली गाँव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मंघाली जंगल, वन क्षेत्र में (जिसमें मंघाली तार विभाग द्वारा तार ** लाइन के निर्माण के लिये 0-03-68 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिये दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुये गाँव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया है:-

क्र० सं०	*पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
01.	<u>नारायण दास</u>		
02.	<u>दोलत राम</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया है:-

क्र० सं०	*पात्र गाँव वासी का नाम
----------	-------------------------

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....
दिनांक.....

सचिव
वन अधिकार समिति
मंघाली पुडग

अध्यक्ष Deish
अधीकृत वन अधिकार समिति
ग्राम सभा मंघाली पुडग

*ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

एत जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा पुड़ग
विकास खण्ड जुबल-कोटखा जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 27/08/21

संख्या 108/435

प्रस्ताव संख्या 08

विषय अनापति
विवरण के निर्माण हेतु चीजी चामि जंगल/ वन क्षेत्र
न प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
को मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा 27/7/21 को 11 बजे स्थान पुड़ग की गई जिसमें
विभाग/ संस्था को बिजली विभाग के निर्माण हेतु निर्दिष्ट
जंगल/ वन क्षेत्र ने प्रस्तावित 0-03-68 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग को मजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर धारा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 0-03-68 हैक्टयर वन भूमि को बिजली वलर हेतु निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान पुड़ग
दिनांक 27/7/21

प्रधान
ग्राम पंचायत पुड़ग
विकास खण्ड जुबल कोटखा
जिला शिमला (हि.प्र.)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Ymsg
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Purag
Dev. Block, Jubbal-Kotkhai

प्रस्ताव सं० ०४ बिजली के टावर द्वाारा लाईन प्रगतिनगर
से डुल्ली तक बिछाने हेतु अनापति बारे,
ग्राम सभा में सर्व-सम्मति से प्रस्ताव
पारित किया गया कि बिजली का टावर द्वाारा लाई जो कि
प्रगतिनगर से डुल्ली तक बिछाई जा रही है जिसमें कि
मधाली वाड में जंगल नहीं है बल्कि चरागाह है वन अधिकार
अधिनियम २००६ के अन्तर्गत मधाली ग्राम की वन हथियान
समिति के अनापति के आचार पर ग्राम सभा अनापति
पत्र जारी करती है।

निवेदन

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Purag
Dev. Block, Jubbal Kotkhal

कार्यवाही रजिस्टर

मुख्य कार्यवाही रजिस्टर
 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज
 विभाग, देहरादून

ग्राम पंचायत

पुड़ग

विकास खण्ड

जुलवल-कोटखाई

जिला

शिमला

1	2	3	4
तारीख और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	हस्ताक्षर
07/2021		आज दिनांक 07/07/2021 को ग्राम सभा की बैठक प्रधान बुरिनु चौधन की अध्यक्षता में होकर निम्न लिखित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी:- 1. गत कार्यवाही का पुष्टि 2. विकास कार्यों पर चर्चा 3. गत मास के आय-व्यय का ब्यौरा 4. कोरोना काल में बनी मनरेगा शैफ के अनुमोदन बारे! 5. बीपीएसएल परिवारों का समीक्षा 6. स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बारे चर्चा	
		बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की:-	
	क. ल. परिवार के मुखिया का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
	01. कुल्ला देवी	रिनु चौधन	
	02. कोशल्या	नितीन	

3	राजेश देव शर्मा	राजेश	राजेश
4	Parkash Puri	Parkash	Parkash
5	Paritab Bharti	Paritab	Paritab
6	Balbire Koprake	Balbire	Balbire
7	Pardeep Chaurasia	Pardeep	Pardeep
8	राजेश	राजेश	राजेश
9	माला देवी	माला देवी	माला देवी
10	मुनया देवी	मुनया देवी	मुनया देवी
11	Mangla Gupta	Mangla	Mangla
12	Kala Mulla	Kala	Kala
13	SH. VIKAS PAL	SH. VIKAS	SH. VIKAS
14	मंगल शर्मा	मंगल	मंगल
15	Parmed Sethi	Parmed	Parmed
16	Jagdeep Bhatia	Jagdeep	Jagdeep
17	SHISHU PAL	SHISHU	SHISHU
18	राजेश	राजेश	राजेश
19	राजेश लाल	राजेश	राजेश
20	महेन्द्र	महेन्द्र	महेन्द्र
21	रमेश	रमेश	रमेश

प्ररूप-17
(हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 का नियम 10 और 34 देखें)

254

कार्यवाही रजिस्टर

चायत

विकास खण्ड

जिला

उपस्थित सदस्यों का नाम 2	निष्पादित कार्य का विवरण 3	हस्ताक्षर 4
क्रि. 22	मी. राजेंद्र	सुप्रभा
23	मी. मोहन राम	पुष्पा
24	मी. मती सुख जेईम	सुचिता
25	सुशील शर्मा	संय
26	विष्णु शर्मा	न. T. Purva
27	राजेश शर्मा	बिरला
28	प्रमोद सिंह	प्रेम लता
29	Bhushan Lal	रमेश
30	RADEEP KUMAR	डॉ. र
31	Lal Ram	डॉ. र
32	Sangeet Natta	डॉ. र
33	जयपाल लाल	डॉ. र
34	Aswani Dhar	डॉ. र
35	राजेश शर्मा	डॉ. र
36	मोहन लाल	डॉ. र
37	राजेश लाल	डॉ. र

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Purva
Dev. Block Jubbal Kotkhar



कार्यालय ग्राम पंचायत हिमरी

विकास खण्ड जुबल कोटखाई, तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रधान
श्री सुनील चौहान
फोन : 70183-53781

उप-प्रधान
श्री विकास
फोन : 82190-71896

वार्ड सदस्य :

क्रमांक.....

दिनांक 27-7-2021

1. श्री विकास वर्मा

आज दिनांक 27-7-2021 को ग्राम पंचायत हिमरी की मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री/श्रीमति सुनील चौहान जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थित सदस्यों की संख्या 7 रही, जिसमें निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

2. श्री सोनू

विषय विजली के टावर 66kv लाइन प्रगतिवार से हुलली तक बिछाई जा रही है।

3. श्रीमति रीना देवी

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे

4. श्रीमति सुनी देवी

पंचायत बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया

5. श्रीमति

चन्द्रेश कुमारी

गया कि विजली टावर 66kv टावर की लाइन प्रगतिवार से हुलली तक बिछाई जा रही है जिसमें हिमरी फा की पाली गई स्मान 1-02 होकर जा रही है जहाँ पर विजली बिभाग का टावर लगाना है। यह कि विजली टावर के स्मान पर किसी भी प्रकार के फेड पॉल्स नहीं हैं अपितु यह बज्र भूमि है।

अतः ग्राम पंचायत वन अधिकार

समिति अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पानी (FAC) के प्रमाण पत्र अनुसार उपरोक्त विषय लिखित को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण जारी करती है।

प्रधान
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

गैर आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा **पाली**

प्रतिलिपि प्रस्ताव - 01

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा **25/06/2021** की बैठक आज दिनांक **25/06/2021**

का **2** बजे स्थान **पाली** में श्री/ श्रीमति **कैशव राम**

की अध्यक्षता में की गई जिसमें **पाली** गांव की अनुसूचित जातजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत **धरान**

स्थान पर वन क्षेत्र में जिसमें **विद्युत** विभाग द्वारा **1 बिजली ** टावर लगाने हेतु**

पर निर्माण के लिए **1-02-02** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की जरूरी प्रस्तावित है। (वन अधिकारों के लिए)

इस हेतु प्रस्तावित गांव जलियों के वन अधिकारों के अवधानों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों

के साथ सम्बन्धित दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्री का दावा नियमानुसार सही नहीं माना गया -

कॉलम गांव दासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का आधार

समाप्त। यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा में इसकी बैठक नहीं आयी है।

इस वन क्षेत्र में निम्नलिखित पात्री का दावा नियमानुसार सही नहीं माना गया -

कॉलम गांव दासी का नाम

समाप्त। ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरास करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रस्ताव नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत हिमरी

गढ़, कोटखाई, जिला हिमालय

प्रधान

अधिवृत्त वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ग्राम पंचायत हिमरी

गढ़, कोटखाई, जिला हिमालय

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा पाली

प्रतिलिपि प्रस्ताव - 01

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 25/06/2021

ग्राम सभा पाली

की बैठक आज दिनांक 25/06/2021 को 2

बजे स्थान पाली में श्री/श्रीमति के.ए. राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें पाली

गौँव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पाली जंगल, वन क्षेत्र में (जिसमें विद्युत

विभाग द्वारा टार ** बारन के निर्माण के लिये 1-02-02 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिये दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुये गौँव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया है:-

क्र० सं०

*पात्र गौँव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया है:-

क्र० सं०

*पात्र गौँव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार पाली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान हिमरी
दिनांक 25/06/2021

सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत हिमरी
बह. कोटखाई, जिला हिमताल

प्रधान
वन अधिकार समिति
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता हिमरी
ग्राम सभा कोटखाई, जिला हिमताल

*ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

वृत्त जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा **मासिक बैठक**

विकास खण्ड **जुबल - कोटखाई** जिला **शिमला**

(हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक **25/06/2021**

सम्पत्ति **3/07/2021**

प्रस्ताव संख्या

विषय **पंचायती राज**

विभाग / संस्था को

बिजली का टावर हेतु

के निर्माण हेतु

परान

जंगल / वन क्षेत्र

ने प्रस्तावित

1-02-02

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग

की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा **मासिक बैठक**

को बैठक आज दिनांक

25/06/2021 को **10**

बजे, स्थान

पंचायत घर हिमरी

की गई, जिसमें

पंचायती

राज

विभाग / संस्था को

बिजली का टावर हेतु

के निर्माण हेतु

परान

जंगल / वन क्षेत्र ने प्रस्तावित

1-02-02

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के

लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित **1-02-02** हेक्टेयर वन भूमि को **बिजली का टावर हेतु** निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा **मासिक बैठक** की सहमति दी जाती है।

स्थान **हिमरी**

दिनांक **25/06/2021**

प्रधान

ग्राम पंचायत हिमरी

विकास खण्ड जुबल कोटखाई

अधीक्षक हेतु सारकर्ता

पंचायत सचिव हिमरी

ग्राम पंचायत हिमरी

विकास खण्ड जुबल कोटखाई

ग्राम पंचायत

क्र.सं.	नाम	पद
1	रामचंद्र शर्मा	अध्यक्ष
2	विश्वनाथ शर्मा	उप-अध्यक्ष
3	गोविंद शर्मा	उप-अध्यक्ष
4	कृष्ण शर्मा	उप-अध्यक्ष
5	कृष्ण शर्मा	उप-अध्यक्ष
6	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
7	चंद्रशेखर शर्मा	उप-अध्यक्ष
8	वैद्यनाथ शर्मा	उप-अध्यक्ष
9	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
10	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
11	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
12	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
13	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
14	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
15	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष

17	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
18	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
19	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
20	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
21	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
22	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
23	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
24	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
25	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
26	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
27	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
28	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
29	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
30	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
31	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
32	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
33	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
34	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
35	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
36	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष
37	मोहनलाल	उप-अध्यक्ष

राजकीय प्रयोगशाला, 110 प्रो. रोमला - 144

प्रधान
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल, कोटखाई

कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत

विकास खण्ड

जिला

क्र.सं.	तिथि, नाम और उम्र	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण
38	मूलवती	कला ² लती	प्रस्ताव संख्या 38 विजली के रास्ते 66KV लाईन प्रगतिनगर से हुल्ली तक बिजली के रास्ते प्रगतिनगर जरी करने पर
39	नीरमा	निरमा	
40	सतीश खमा	सतीश	
41	भाग नन्द	भाग नन्द	आ.सं.पंचायत के संकेत में सर्व सम्पत्ति से निर्णय लिया गया कि विजली के रास्ते 66KV की लाईन प्रगतिनगर से हुल्ली तक बिजली जा रही है जिसमें हिमरी पंचायत की चाली नई स्थान खुलवा दो कर जा रही है जहां पर विजली बिजली का डाक्टर लगाना है। यह कि विजली रास्ते के स्थान पर किसी की प्रभाव के फेड़ लगे नहीं हैं अतः यह बचाने लगे हैं।
42	पूजा श्याम	पूजा	
43	जायकराम	जायकराम	
44	शुभाका	शुभाका	
45	अपरा	अपरा	
46	मनोरमा	मनोरमा	
47	हैमचक	हैमचक	
48	मदन राम	मदन राम	
49	सुरेश	सुरेश	

प्रधान
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

प्रधान
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत हिमरी
विकास खण्ड जुबल कोटखाई



कार्यालय ग्राम पंचायत देवगढ़

विकास खण्ड जुबल कोटखाई, तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रधान

रंजना देवी

मो. 78767 23164

उप प्रधान

पवन शर्मा

मो. 96257 75078

सदस्य

• रमा देवी

• तुलसी राम

• मिनाक्षी

• सोनू चौहान

• पूजा चौहान

क्रमांक.....

नकल प्रस्ताव संख्या - 7

दिनांक 26-07-2021

आज दिनांक 26-7-2021 को ग्राम पंचायत देवगढ़ की मासिक/ग्राम सभा बैठक प्रधान श्रीमती रंजना देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें 7

सदस्य ने भाग लिया व बैठक में निम्नलिखित विषय पर कार्यवाही अमल में लाई गई।

विषय बिजली के टावर 66 KV लाइन प्रगतीनगर से हुल्ली तक बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बारे—!

आज की मासिक बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बिजली का टावर 66 KV लाइन जो कि प्रगतीनगर से हुल्ली तक बिछ रही है जिस में पजौल वार्ड में कोई भी जंगल नहीं है बल्कि फरान है वन क्षेत्राधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पजौल वार्ड की कमेटी के अनापत्ति प्रमाण को देखते हुए पंचायत द्वारा भी अनापत्ति उपरोक्त लिखित विषय हेतु प्रदान की जाती है ।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से बहुमत द्वारा पारित किया जाता है ।

प्रधान
ग्राम पंचायत देवगढ़
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

उप प्रधान
ग्राम पंचायत देवगढ़
विकास खण्ड जुबल कोटखाई

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल के अनुसार सही है।

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मासिक बैठक
विकास खण्ड जुबल कोटरबाई जिला शिवनी (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 26-7-2021

पृष्ठ संख्या 5/7

प्रस्ताव संख्या 7

विषय पंचायती राज विभाग/संस्था को विजली के टावर
टैर के निर्माण हेतु चराह / भूमि मलकियत जंगल/ वन क्षेत्र
ने प्रस्तावित 0-89-59 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मासिक बैठक को बैठक आज दिनांक
26-7-2021 को 11 बजे, स्थान पंचायत देवगड की गई, जिसमें पंचायती राज
विभाग/संस्था को तबलगाव के निर्माण हेतु चराह / भूमि मलकियत
जंगल/ वन क्षेत्र ने प्रस्तावित 0-89-59 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित चराह/भूमि मलकियत हेक्टेयर वन भूमि को विजली टावर टैर निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मासिक बैठक की सहमति दी जाती है।

स्थान देवगड
दिनांक 26-7-2021

Rangna
ग्राम पंचायत देवगड
विकास खण्ड जुबल कोटरबाई

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

26-7-2021
पंचायत देवगड
वि ख जुबल कोटर

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा देवगढ़
प्रतिलिपी प्रस्ताव 7

दिनांक 26.7.2021

वन अधिकार समिति ग्राम सभा पजौल की बैठक आज दिनांक 26-7-2021
का 11 बजे स्थान पजौल में श्री/ श्रीमति मुन्नी लाल
की अध्यक्षता में की गई जिसमें पजौल गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चरान / भूमि मलमिस्त
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें HPSEBL विभाग द्वारा 66kV ** बिजली के टावर हैं
के निर्माण के लिए 0-89-59 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
हट्ट प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
<u>1</u>		<u>पजौल</u>	

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरान्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम
---------	-------------------------

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान सखिव
दिनांक वन अधिकार समिति
गांव पजौल पंचायत देवगढ़

मन्मथ
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकारों के लिए गांव पजौल पंचायत देवगढ़
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... २७७६

प्रतिलिपि प्रस्ताव ७

प्रस्ताव संख्या.....

ग्राम सभा.....

दिनांक 26.7.2021

बजे स्थान 11

गई जिसमें

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

क्षेत्र में (जिसमें

निर्माण के लिये

के लिये दावे हेतु

के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा

उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही

पाया गया है:-

क्र० सं०

*पात्र गाँव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

पजौल

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया है:-

क्र० सं०

*पात्र गाँव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....

दिनांक.....

ससिव

वन अधिकार समिति

गाँव पजौल पंचायत देवगढ़

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.....

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

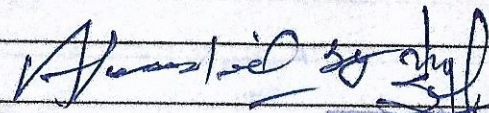
गाँव पजौल पंचायत देवगढ़

*ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रस्ताव सं नं- विजली के टावर 66 KV लाईन प्रगतिनगर से हुल्ली तक
विद्युत हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का

पंचायत बैठक में सर्व सभ्यता से निर्णय लिया गया कि विजली का टावर 66 KV लाईन जो कि प्रगति नगर से हुल्ली तक बिछाई जा रही है जिसमें कि बिजली लाईन में जल नहीं है बल्कि चरान है। अतिरिक्त अन्तर्गत पजोले वॉर की कमी के अनापति प्रमाण पत्र का हेतु इस पंचायत द्वारा अनापति उपरोक्त लिखित विषय हेतु जारी की जाती है जो कि बैठक में सर्व सभ्यता से पारित है।


पंचायत देवगढ़
वि.स. जुबल कोटखा



कार्यालय ग्राम पंचायत गुम्मा

विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तह. कोटखाई, जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रधान

श्री राजेन्द्र चौहान

मो. 98820 64900, 97366 36900

उप प्रधान

अजय मेघटा

मो. 98160 36922

सदस्य

• दिनेश शर्मा

• प्रेमिला चौहान

• प्रमोद चौहान

• सरीना

• तारा देवी

क्रमांक.....

नकल प्रस्ताव संख्या-12.

दिनांक 23/06/2021

आज दिनांक 23/06/2021 को ग्राम पंचायत गुम्मा की मासिक/ग्राम सभा बैठक

प्रधान श्री राजेन्द्र चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसके सभी सात

सदस्य ने भाग लिया व बैठक में निम्नलिखित विषय पर कार्यवाही अमल में लाई गई।

विषय बिल्ली के रावर 66 KV लाइन पुनर्निर्माण से डल्ली

तक बिद्युत देना अनापत्ति पत्र पदान वार

ग्राम की मासिक बैठक में उपस्थित सभी

सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से पुस्ताव पारित किया गया

कि बिल्ली का रावर 66 KV लाइन जो कि पुनर्निर्माण से डल्ली तक बिद्युत रखी है जिसमें कि खोई गई में कोई भी जंगल नहीं है बल्कि चरान है वन विभाग के अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खोई गई की कमी के

अनापत्ति पत्र पदान के देखते हुए पंचायत द्वारा श्री अनापत्ति उपरोक्त लिखित विषय देना पदान की जाती है पुस्ताव सर्व सम्मति से बहुमत द्वारा पारित किया गया है

प्रधान राजेन्द्र चौहान
23/6/21
ग्राम पंचायत गुम्मा
कोटखाई-171202 (हि. प्र.)

Secretary 23/06/2021
Gram Panchayat-Gumma
Teh. Kotkhai, Distt. Shimla
H.P.

प्रमाणित किया जाता है कि नकल असल के अनुसार सही है।

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा खोड़

प्रतिलिपी प्रस्ताव - 01

दिनांक

इस जनजाति समिति ग्राम सभा 07/06/2021 की बैठक आज दिनांक 07/06/2021
को 11 बजे स्थान खोड़ में / श्रीमति

की अध्यक्षता ने की गई जिसने खोड़ (प्रजापति) अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जरान / रूमि मलबिया
ग्राम / वन क्षेत्र में जिसने H.P.S.E.B. विभाग द्वारा 2 बिजली के राफ्ट डेव
के लिए 1-66-01 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए
इस हेतु ग्राम हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति ने
इस निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
0 Gauri Singh पानी बर

नियमानुसार इस वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है

उपरान्त में न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम

1

2

नियमानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

...जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

सचिव

वन अधिकार समिति

.....ग्राम पंचायत गुम्मा

तह. कोटखाई, जिला शिमला

अनुसूचित हस्ताक्षरकर्ता

वन अधिकार समिति

.....ग्राम पंचायत गुम्मा

तह. कोटखाई, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
को अनुमति दी जानी है।

सूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा खोइ
प्रतिलिपि प्रस्ताव - 07

प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 07/06/2021
 ग्राम सभा खोइ की बैठक आज दिनांक 07/06/2021 को 11
 बजे स्थान खोइ में श्री/श्रीमति प्रजातिगर की अध्यक्षता में की
 गई जिसमें खोइ (प्रजातिगर) गाँव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परग/म/लाहुरा जंगल वन
 क्षेत्र में (जिसमें H. PSEBL विभाग द्वारा 66/KV बिजली के टावर के
 निर्माण के लिये 1-66-01 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों
 के लिये दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुये गाँव वासियों
 के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा
 उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही
 पाया गया है:-

क्र० सं० *पात्र गाँव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है:-

क्र० सं० *पात्र गाँव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान.....
दिनांक.....

सचिव Rishi
वन अधिकार समिति
.....ग्राम पंचायत गुम्मा
तह. कोटखाई, जिला शिमला

प्रधान Pnagla
वन अधिकार समिति
..अधीकृत. इस ग्राम पंचायत गुम्मा
तह. कोटखाई, जिला शिमला

*ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मासिक बैठक =

विकास खण्ड जुबल-कोटखाई जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव - 12.

दिनांक 23/06/2021

प्रस्ताव संख्या 12.

07/07

विषय पंचायती राज विभाग/संस्था को बिजली के टावर
 हेतु के निर्माण हेतु कराने जंगल/ वन क्षेत्र
 में प्रस्तावित 1-66-01 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
 के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मासिक बैठक को बैठक आज दिनांक
 23/06/2021 को 11 बजे स्थान पंचायत घर गुम्मा की गई जिसने पंचायती
 राज विभाग/संस्था को बिजली के टावर हेतु के निर्माण हेतु कराने
 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-66-01 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग को मजूरी के
 लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

ग्राम सभा/पंचायतों ने यदाचित्त वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी
 तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि
 दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
 मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व
 सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे
 सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित कराने हैक्टयर वन
 भूमि को बिजली के टावर हेतु निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मासिक बैठक की
 सहमति दी जाती है।

स्थान गुम्मा
 दिनांक 23/06/2021

प्रभाव 23.6.21
 ग्राम पंचायत गुम्मा
 तहसील कोटखाई जिला शिमला

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा गुम्मा

Secretary 23/06/2021
 Gram Panchayat-Guruma
 Teh. Kotkhai, Distt. Shimla
 H.P.

प्ररूप-17

[नियम 10 और 34 देखें]

कार्यवाही रजिस्टर

138

ग्राम पंचायत

गुम्मा

विकास खण्ड

दुबल कोटखाड़

जिला

शिमला

तिथि, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	हस्ताक्षर
1	2	3	4
13/08/2021.		आज दिनांक 13/08/2021 की ग्राम सभा की बैठक प्रधान श्री रजिन्द्र चौधन की अध्यक्षता में सम्म ॥ बैठक कार्यवाही पंचायत गुम्मा में आरम्भ हुई। प्रस्ताव सरंख्या - वृ. गांव बैठक की अतिथि के आन की मासिक बैठक कोटखाड़ उपखण्ड (ह. प्र.) में सर्व सम्मेलन से पारित किया।	
क्र.स	नाम	पति पति का नाम	हस्ताक्षर
१.	रजिन्द्र चौधन	प्रधान गुम्मा	गांव गोचर
२.	पोगिला चौधन	वार्ड सदस्य	अधु
३.	दिनेश भार्गव	वार्ड सदस्य	इल्ली
०५.	अजय मेघरा	उप प्रधान गुम्मा	दिनेश

क्र. सं.	नाम	पिता / पिता का नाम	जाति	संकेत
08	बैली राम श.	बालक राम	कुकर	08/08
09	बालपाल श.	बालक राम	कुकर	09/08
10	बालपाल S/o	राम दयाल	कुकर	10/08
11	बालपाल S/o	श्री राम अलौ	कुकर	11/08
12	नवीन चोधन S/o	श्री राम चन्द	कुकर	12/08
13	मिलाक	श्री विजय कुमार	कुकर	13/08
14	बालपाल चन्द S/o	श्री राम चन्द	कुकर	14/08
15	8. इन्दु सिंह	S/o. Sh. Dhani Ram	कुकर	15/08
16	9. नरेश	S/o Sh. Prem Singh	कुकर	16/08
17	10. अजय	श. जय राम	कुकर	17/08
18	11. कुलदीप	श. केशव चन्द	कुकर	18/08
19	12. रशीका	श. सुन्दर	कुकर	19/08
20	13. बडीका	श. बाबू खान	कुकर	20/08
21	14. मोहम्मद अली	श. अली	कुकर	21/08
22	15. जलीर	श. अलुल	कुकर	22/08
23	16. श		कुकर	23/08
24	17. राजेन्द्र सिंह	श. लखत राम	कुकर	24/08

प्ररूप-17

[नियम 10 और 34 देखें]

159

कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत

विकास खण्ड

जिला

दिनांक, मास और वर्ष	उपस्थित सदस्यों का नाम	निष्पादित कार्य का विवरण	हस्ताक्षर
1	2	3	4
	18	रोशन बीबी व/ अली मो	हुल्ली
	19	ककसाना व/ शोकर अली	हुल्ली
	20	नसीब मो अ/ आस अली	हुल्ली
	21	शकीला बेगम व/ आस व धली	हुल्ली
	22	दिल शाद व/ गुफूर दीन	कन लो ग हुल्ली
	23	मुन्नी लाल व/ मोती राम	प्रगतिनगर
	24	सतार मुहम्मद व/ हुमान दीन	प्रगतिनगर
	25	प्रदीप कुमार व/ late Shri परमानन्द	गुम्मा
	26	वशीर दीन व/ रबींद्र अली	कन लो ग
	27	मगी राम व/ वीरू राम	सैज
	28	नजीरा व/ रफीक मुहम्मद	प्रगतिनगर
	29	जय राम व/ late Shri तुलसी राम	न्यारा
	30	अपना व/ राजेश कुमार	हुफर

43	36	विमला देवी	व/० डया राम	रखौड	Ly...
44	37	गुलजार मुखर्जी	व/० चरागु दीन	इल...	Tah...
45	38	सुलतान	व/० कदापुर अली	रखौड	...
46	39	नजम	व/० पुष्प...	रखौड	मुमताज
47	40	मुमताज	व/० शान म/०	रखौड	...
48	41	Sunila	व/० मुनालाल	रखौड	Sunila
49	42	पुष्पलाल Singh	व/० L. S. Boli Ram	रखौड	...
50	43	नरेश चंद	व/० 100 Shri चतराम	रखौड	...
51	44	सतीश कुमार	व/० मनीष	रखौड	Shuch
52	45	मौ शमीन	व/० रवि कुमार दीन	रखौड	Shuch
53	46	हरमन म/०	व/० रवि कुमार दीन	रखौड	...
54	47	प्रवीण केशव	व/० मोहन लाल	रखौड	प्रवीण
55	48	दीपक	व/० विमल	रखौड	दीपक
56	49	पुलकेश	व/० इन्दर सिंह	रखौड	Ram
57	50	विश्व कृष्ण	व/० जगदीश	रखौड	शिव...
58	51	ने.दलाल	व/० मनीष	रखौड	Wh...
59	52	सुधीर	व/० दीप राम	रखौड	Sh...
60	53	विमल	व/० जय राम	रखौड	Chob...
61	54	केशव राम	व/० L. वालकरा म	रखौड	K...

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1444—पंचायत/2018-3-1-2019—2,000 रजिस्टर।

प्रस्ताव संख्या-08) बिजली के शवर 66 KV लाईन पुगेतेनगर से हुल्ली तक बिछोने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रस्ताव गाँव सभा में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्व समीति से प्रस्ताव पारित व अनुमोदित किया गया कि बिजली का शवर 66KV लाईन जो कि पुगेतेनगर से हुल्ली तक बिछ रही है जिसमें कि खोई बर्ड में कोई भी जगुल नहीं है बल्कि वन क्षेत्र अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खोई बर्ड की कमिटी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को देखते हुए प्रचोपत द्वारा भी अनापत्ति उपरोक्त लिखित विषय हेतु प्रदान की जा रही है। प्रस्ताव गाँव सभा द्वारा सर्व समीति से बहुमत द्वारा पारित किया गया है।



Prashant
Prashant Chauhan
Teh. Kotkhai
Distt. Shimla
H.P.

Secretary 12/08/2021
Gram Panchayat-Gumma
Teh. Kotkhai, Distt. Shimla
H.P.

हस्ताक्षर
दिनांक